''बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114/-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2006—फाल्गुन 30, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2006

क्रमांक 2400/डी- /21-अ/प्रारुपण/06.—छत्तीसगढ़ विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7-3-2006 को राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की दिनांक 18-1-06 को अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005

विषय सूची

खण्ड :

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005

व्यक्तियों तथा संगठनों के कतिपय विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का अधिक प्रभावी रूप से निवारण करने तथा उससे संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवे वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006).

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''सलाहकार बोर्ड'' से अभिप्रेत है धारा 5 के अधीन गठित बोर्ड,

(ख) ''संगठन'' से अभिप्रेत है, व्यक्तियों का कोई संयोजन, निकाय या समूह, चाहे वह किसी सुभिन्न नाम से ज्ञात हो या नहीं, और चाहे वह किसी सुसंगत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं और चाहे वह किसी लिखित संविधान द्वारा शासित हो या नहीं,

(ग) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार,

(घ) ''अधिसूचना'' से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित की गई अधिसूचना तथा शब्द ''अधिसूचित'' का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा,

(ङ) किसी व्यक्ति या संगठन के संबंध में विधि विरुद्ध कार्यकलाप का अर्थ है कोई भी कार्य जो व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा किया जावे भले ही उस कार्य को घटित करके या कहे गये, या लिखे गये शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुतीकरण द्वारा, या अन्यथा :—

(एक) जो सार्वजनिक व्यवस्था, शान्ति तथा लोक प्रशांति को खतरा या भय उत्पन्न करता है, या

(दो) जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने में बाधक है या जिसकी प्रवृत्ति सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने में बाधा डालने की है, या

(तीन) जो विधि के प्रशासन या उसकी स्थापित संस्थाओं तथा उसके कार्मिकों के प्रशासन में बाधक है या जिसकी प्रवृत्ति उनमें बाधा डालने की है, या

(चार) जो अपराधिक बल या अपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा या अन्यथा किसी भी लोकसेवक, जिसमें राज्य शासन या केन्द्र शासन के बल सम्मिलित है, जो विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो को आतंकित करने की रूपरेखा करने का है, या

(पांच) जो हिंसा, आंतकवाद, बर्बरता के कार्यों में या जनता में भय तथा आशंका उत्पन्न करने वाले अन्य कार्यों में निरत रहने या उसका प्रचार करने वाला है या अग्न्यायुधों, विस्फोटकों तथा अन्य युक्तियों (डिवाइसेस) के उपयोग में निरत रहने या उन्हें प्रोत्साहित करने वाला है या रेल या सड़क द्वारा संचार साधनों को विच्छिन्न करने वाला है, या

(छः) जो स्थापित विधि तथा उसकी संस्थाओं की अवज्ञा को प्रोत्साहित करने वाला या अवज्ञा का प्रतिपादन करने वाला है, या

(सात) जो ऊपर वर्णित किसी एक या अधिक विधि विरुद्ध, क्रिया कलापों को कार्यान्वित करने हेतु बलपूर्वक धन या माल संग्रहित करने वाला है,

(च) ''विधि विरुद्ध संगठन'' से अभिप्रेत है ऐसा कोई संगठन जो किसी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप को करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निरत रहता है या जिसका उद्देश्य किसी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप को किसी भी माध्यम, युक्ति या अन्यथा अभिप्रेरित करना या सहायता देना या सहायता करना या प्रोत्साहन देना है.

संगठन को विधि विरुद्ध घोषित किया जाना.

3. (1) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि कोई संगठन विधि विरुद्ध संगठन है या हो गया है, तो वह अधिसूचना द्वारा ऐसे संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर सकेगी.

(2) ऐसी प्रत्येक अधिसूचना में वे आधार विनिर्दिष्ट किए जायेंगे जिन पर वह जारी की गई है.

परन्तु इस उपधारा में कोई भी बात किसी ऐसे तथ्य को प्रकट करने की सरकार से अपेक्षा नहीं करेगी, जिसका प्रकट किया जाना वह लोकहित के विरुद्ध समझती है.

(3) जहां ऐसे विधि विरुद्ध संगठन का कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है, वहां अधिसूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर या ऐसे रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में किसी पदाधिकारी को सौंप कर तामील की जायेगी और उस दशा में, जब कोई पदाधिकारी उपलब्ध न हो या वह अधिसूचना प्राप्त करने से इन्कार करता है तो उसे कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका दिया जायेगा. जहां संगठन का कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं है वहां अधिसूचना को किसी एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा.

(4) अधिसूचना एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी और वह ऐसी कालावधियों के लिए जो एक समय में एक वर्ष से अधिक न हो, बढ़ाई जा सकेगी, जैसा कि स्थिति के पुनर्निरीक्षण के पश्चात् आवश्यक समझा जाये.

(5) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना सरकार द्वारा उस स्थिति में प्रतिसंहृत की जा सकेगी, जहां वह समझे कि उसके जारी रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है.

संगठन द्वारा अभ्यावेदन.

4. विधि विरुद्ध घोषित किया गया कोई संगठन, यदि वह ऐसा पसंद करे, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख या उसकी प्राप्ति या धारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति में उसके चिपकाए जाने की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, 15 दिन के भीतर सरकार को अभ्यावेदन भेज सकेगा और ऐसा अभ्यावेदन सलाहकार बोर्ड के समक्ष उसके विचार हेतु रखा जायेगा. संगठन, यदि वह ऐसी वांछा करे, सलाहकार बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निवेदन कर सकेगा.

सलाहकार बोर्ड का गठन तथा उसको निर्देश.

5. (1) (क) राज्य सरकार, जब भी आवश्यक हो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी.

(ख) सलाहकार बोर्ड ऐसे तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए

अर्ह हैं, सरकार सदस्यों को नियुक्त करेगी, और उनमें से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में पदाभिहीत करेगी.

(2) सरकार धारा (3) की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड को निर्देश करेगी, और उसके समक्ष अधिसूचना की एक प्रति, उसके समर्थन में सामग्री तथा विधि विरुद्ध संगठन से प्राप्त अभ्यावेदन यदि कोई हो, उसके द्वारा विचार किए जाने के लिए रखेगी.

सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया.

6. (1) सलाहकार बोर्ड अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और सरकार से या संबंधित संगठन के किसी पदाधिकारी से या सदस्य से अतिरिक्त जानकारी, यदि आवश्यक हो मांगने के पश्चात् तथा संगठन के प्राधिकृत पदाधिकारी को वैयक्तिक सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सरकार से निर्देश प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

(2) जहां संगठन वैयक्तिक सुनवाई चाहता है वहां सुनवाई की तारीख तथा समय भी विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रज्ञापना संगठन के अभ्यावेदन में उपदर्शित किए गए पते पर भेजी जायेगी. संबंधित संगठन किसी वकील या किसी प्राधिकृत पदाधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति के माध्यम से उपसंजात होने का हकदार नहीं होगा.

(3) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के एक पृथक भाग में उसकी इस संबंध में राय भी विनिर्दिष्ट की जायेगी कि संबंधित संगठन के संबंध में अधिसूचना जारी करने के लिए पर्याप्त हेतुक था या नहीं.

सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई.

7. (1) ऐसे किसी मामले में, जहां सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट है कि उसकी राय में, संबंधित संगठन को विधि विरुद्ध घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी करने का पर्याप्त हेतुक है, तो सरकार अधिसूचना की पुष्टि कर सकेगी तथा धारा (3) की उपधारा (4) की उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए उसे ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि वह उचित समझे, जारी रख सकेगी.

(2) ऐसे किसी मामले में, जहां सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट है कि उसकी राय में यथापूर्वोक्त अधिसूचना जारी किए जाने के लिए कोई पर्याप्त हेतुक नहीं है वहां सरकार अधिसूचना को तत्काल प्रतिसंहृत करेगी.

शास्तियां.

8. (1) जो कोई किसी विधि विरुद्ध संगठन का सदस्य है या किसी ऐसे संगठन के सम्मेलनों में या क्रिया-कलापों में भाग लेता है या ऐसे किसी संगठन के प्रयोजन के लिए कोई अभिदाय करता है या उसके लिए कोई अभिदाय प्राप्त करता है या उसकी याचना करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के भी दायित्वधीन होगा.

(2) जो कोई किसी विधि विरुद्ध संगठन का सदस्य न होते हुए किसी भी तरह से ऐसे संगठन के लिए अभिदाय करता है या उसके लिए कोई अभिदाय प्राप्त करता है या उसकी याचना करता है या ऐसे संगठन के किसी सदस्य को संश्रय देता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास जो दो वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने के भी दायित्वाधीन होगा.

(3) जो कोई किसी विधि विरुद्ध संगठन का प्रबंधन करता है या प्रबंधन में सहयोग करता है, या ऐसे संगठन की किसी बैठक या सदस्य को बढ़ावा देता है या सहयोग करता है, या किसी ढंग से ऐसे संगठन की विधि विरुद्ध गतिविधि में भाग लेता है, या किसी भी माध्यम या उपकरण से भागीदार है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माने के लिए दायित्वाधीन होगा.

(4) कोई भी पुलिस अधिकारी इस धारा की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण उस समय तक नहीं करेगा, जब तक कि उसे संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुज्ञा प्रदान न किया गया हो,

(5) जो कोई किसी भी विधि विरुद्ध कार्यकलाप को घटित करता है या दुष्प्रेरण करता है या घटित करने की प्रयास करता है या घटित करने की योजना बनाता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा एवं जुर्माने के भी दायित्वाधीन होगा.

विधि विरुद्ध क्रियाकलापों के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले स्थानों को अधिसूचित करने तथा उनका कब्जा लेने की शक्ति.

9. (1) जिला मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे स्थान को जो उसकी राय में किसी विधि विरुद्ध संगठन के क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाया जाता है अधिसूचित कर सकेगा.

स्पष्टीकरण :—इस धारा के उद्देश्य हेतु, स्थान से अभिप्राय में घर, भवन या उनका अंश या तम्बू या जलयान भी सम्मिलित होगा.

(2) जब उपधारा (1) के अधीन कोई स्थान अधिसूचित किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी अधिसूचित किए गए स्थान का कब्जा ले सकेगा और उसके अन्दर पाए गए किसी भी व्यक्ति को वहां से बेदखल कर सकेगा तथा जिला मजिस्ट्रेट कब्जा लिए जाने की रिपोर्ट सरकार को तत्काल करेगा.

परन्तु जहां ऐसे स्थान में कोई ऐसा प्रकोष्ठ अंतर्विष्ट है जो बच्चों या महिलाओं के अधियोग में है, वहां उन्हें यथा संभव न्यूनतम असुविधा के साथ हटने के लिए युक्तियुक्त समय और सुविधाएं दी जाएगी.

(3) ऐसा अधिसूचित स्थान, जिसका कब्जा उपधारा (2) के अधीन ले लिया जाता है, सरकार के कब्जे में उस समय तक, जब तक ऐसे विधि विरुद्ध संगठन के संबंध में धारा 3 के अधीन अधिसूचना प्रवृत्त बनी रहती है या ऐसी पूर्वतर कालावधि के लिए जैसा कि सरकार विनिश्चय करे, बना रहेगा.

अधिसूचित स्थान में पाई जंगम संपत्ति.

10. (1) जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया अधिकारी, अधिसूचित स्थान का कब्जा लेते समय उस स्थान में पाई गई जंगम संपत्ति, जिसके अंतर्गत धन, प्रतिभूतियां या अन्य आस्तियां है, का भी कब्जा लेगा और उसकी एक सूची दो प्रतिष्ठित साक्षियों की उपस्थिति में बनाएगा.

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि सूची में विनिर्दिष्ट की गई कोई वस्तु विधि विरुद्ध संगठन के प्रयोजनों के लिए है या उनके लिए उपयोग में लाई जा सकती है या उनकी सहायता के लिए है तो वह इस धारा में इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी वस्तुएं सरकार को समपहृत किए जाने संबंधी कार्यवाही करने का आदेश दे सकेगा.

(3) सूची में विनिर्दिष्ट की गई अन्य समस्त वस्तुएं ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जायेगी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट उसके कब्जे के लिए हकदार समझे और यदि ऐसा व्यक्ति उसका हकदार नहीं पाया जाए, तो उसका व्ययन ऐसे रीति में किया जायेगा, जैसा कि वह निर्देश दें.

(4) जिला मजिस्ट्रेट ऐसी वस्तुओं को, जो समपहृत किए जाने के लिए प्रस्तावित है, विनिर्दिष्ट करते हुए और किसी ऐसे व्यक्ति जो यह दावा करता है कि कोई वस्तु समपहृत किए जाने के लिए दायी नहीं है, कोई अभ्यावेदन, जिसे वह वस्तु के समपहरण के विरुद्ध करना चाहता है, सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर, लिखित में पेश करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी भाषा में होगा, प्रकाशित करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति उस स्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर भी, जहां से ऐसा सम्पत्ति का कब्जा लिया गया था, चिपकवायेगा.

(5) जिला मजिस्ट्रेट अभ्यावेदन पर विचार करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझे. यदि वस्तु को समपहृत किए जाने का विनिश्चय किया जाता है तो वह उसके लिए कारण देगा.

(6) उपधारा (5) के अधीन पारित किए गये समपहरण के किसी आदेश के विरुद्ध वह व्यक्ति, जिसने अभ्यावेदन किया था, आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर सरकार को अपील फाईल कर सकेगा. सरकार अपीलार्थी को सुनवाई का अवसरदेने के पश्चात् ऐसा आदेश जैसा कि वह उचित समझे, पारित कर सकेगी सरकार का ऐसा आदेश अंतिम होगा.

(7) राज्य सरकार किसी भी समय स्वविवेकानुसार स्वप्रेरणा से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (5) के अधीन पारित किए गए किसी आदेश की वैधता शुद्धता या उसके औचित्य के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए अभिलेखों को मांग सकेगी और उनकी परीक्षा कर सकेगी और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे.

(8) यदि अभिग्रहित वस्तु पशुधन या विनश्वर प्रकृत्ति की है तो जिला मजिस्ट्रेट, यदि वह इसे समीचीन समझे, उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकेगा और विक्रय के आगमों का व्ययन ऐसी रीति में किया जायेगा जो अन्य वस्तुओं के व्ययन के लिए इसमें उपबंधित की गई है.

किसी विधि विरुद्ध संगठन की निधियों का समपहरण करने की शक्ति.

11. (1) जहां सरकार का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, यह समाधान हो जाता है कि किन्हीं धन, प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियों का किसी विधि विरुद्ध संगठन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है, या उनका प्रयोग किया जाना आशयित है तो सरकार, लिखित आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि ऐसा धन, ऐसी प्रतिभूतियां या अन्य आस्तियां, चाहे वे जिस किसी की हो, सरकार को समपहृत हो जाने की घोषणा कर सकेगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में ऐसा धन, ऐसी प्रतिभूतियां या अन्य आस्तियां है तामिल की जा सकेगी और ऐसी प्रति के तामील होने पर ऐसा व्यक्ति सरकार के आदेश से धन का भुगतान करेगा तथा प्रतिभूतियां या अन्य आस्तियां परिदत्त करेगा.

परन्तु धन या प्रतिभूतियों के मामले में आदेश की एक प्रति ऐसे अधिकारी को जिसका सरकार चयन करे, निष्पादन के लिए पृष्ठांकित की जा सकेगी और ऐसे अधिकारी को किसी ऐसे परिसर में जहां ऐसे धन या प्रतिभूतियों के होने का युक्तियुक्त रूप से संदेह हो, प्रवेश करने तथा तलाशी लेने और उनका अभिग्रहण करने की शक्ति होगी.

(3) सरकार, उपधारा (1) के अधीन समपहरण का आदेश होने के पूर्व ऐसे व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसकी अभिरक्षा में धन, प्रतिभूतियां या अन्य आस्तियां पाई जाती है, समपहरण करने के अपने आशय की लिखित सूचना देगी और ऐसा व्यक्ति सूचना की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर समपहरण के प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन कर सकेगा. सरकार प्रभावित व्यक्ति से प्राप्त अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगी जैसा कि वह उचित समझे.

(4) जहां सरकार का यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में ऐसा कोई धन, ऐसी प्रतिभूतियां या ऐसी अन्य आस्तियां हैं जिनका उपयोग किसी विधि विरुद्ध संगठन के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या जो ऐसा उपयोग किये जाने के लिए आशयित है, वहां सरकार, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसे धन, ऐसी प्रतिभूतियों या ऐसी अन्य आस्तियों का भुगतान, परिदान, अंतरण या संव्यवहार सरकार के किसी लिखित आदेश के अनुसार हो, ऐसे व्यक्ति को उस धन, उन प्रतिभूतियों या आस्तियों का भुगतान करने, उनका परिदान करने, अंतरण करने या उनके संबंध में किसी भी रीति में, चाहे जो भी हो, कोई संव्यवहार करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगी. ऐसे आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी जिसे कि वह निदेशित है.

(5) सरकार उपधारा (4) के अधीन आदेश की एक प्रति ऐसे अधिकारी को, जिसका वह चयन करे, अन्वेषण के लिए पृष्ठांकित कर सकेगी और ऐसी प्रति वारंट समझी जायेगी जिसके अधीन ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति के, जिसे कि आदेश में निदेशित किया गया है, किन्हीं परिसरों में प्रवेश कर सकेगा, ऐसे व्यक्ति की या किसी अधिकारी, अभिकर्त्ता या सेवक या ऐसे व्यक्ति की पुस्तकों की परीक्षा कर सकेगा, धन तथा प्रतिभूतियों की तलाशी ले सकेगा और ऐसे व्यक्ति से ऐसे धन, ऐसी प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियों के, जिनके बारे में अन्वेषण अधिकारी को यह संदेह हो कि वे किसी विधि विरुद्ध संगठन के लिए उपयोग की जा रही है या जो ऐसे उपयोग किए जाने के लिए आशयित है, संबंध में उनके स्रोत और संव्यवहारों तक पहुंचने के लिए जांच कर सकेगा.

(6) इस धारा के अधीन आदेश की एक प्रति उसी रीति में तामील की जा सकेगी जो समन की तामील के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. 2) में उपबंधित है या जहां ऐसा व्यक्ति, जिसे तामील की जाना है, कोई निगम, कम्पनी, बैंक या व्यक्तियों का संगठन है, वहां उसके किसी सचिव, निदेशक या उसके प्रबंध से संबंधित अधिकारी या व्यक्ति पर या निगम, कम्पनी, बैंक या संगठन को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर या जहां कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं है वहां उस स्थान पर, जहां कारबार चलाया जा रहा है, पहुंचाकर या डाक द्वारा भेजकर तामील की जा सकेगी. जहां शासन संतुष्ट हो कि परिस्थितियों में ऐसी प्रक्रिया का पालन संभव नहीं है, वहां इस आदेश का प्रकाशन किसी स्थानीय समाचार पत्र में करवाया जा सकेगा.

(7) जहां ऐसे धन, प्रतिभूतियों का अन्य आस्तियों के, जिनके बारे में उपधारा (4) के अधीन प्रतिषेधात्मक आदेश दिया गया है, संबंध में उपधारा (1) के अधीन समपहरण का आदेश दिया गया है, वहां समपहरण का ऐसा आदेश, प्रतिषेधात्मक आदेश की तारीख से प्रभावी होगा और वह व्यक्ति, जिसे प्रतिषेधात्मक आदेश निदेशित किया गया था, समपहृत किए गए समस्त धन का भुगतान तथा प्रतिभूतियों या अन्य आस्तियों का परिदान सरकार के आदेशित व्यक्ति को करेगा.

(8) जहां कोई व्यक्ति, जो सरकार के आदेशित व्यक्ति को धन का भुगतान करने या प्रतिभूतियों अथवा अन्य आस्तियों का परिदान करने का इस धारा के अधीन दायी है, सरकार के इस निमित्त किसी निदेश का पालन करने से इन्कार करता है या उसमें (पालन में) असफल रहता है तो सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसे धन को रकम या अन्य वित्तीय आस्तियां या ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य भू-राजस्व के बकाया के तौर पर या जुर्माने के रूप में वसूल कर सकेगी.

(9) इस धारा में प्रतिभूति में सम्मिलित है ऐसा कोई दस्तावेज जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह धन का भुगतान करने के विधिक दायित्व के अधीन है या जिसके अधीन कोई व्यक्ति धन के भुगतान का विधिक अधिकार अभिप्राप्त करता है और किसी प्रतिभूति का बाजार मूल्य से अभिप्रेत है वह मूल्य जो सरकार द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्ति किए गए किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा यथा नियत मूल्य.

(10) सिवाय उस जानकारी के जहां तक वह इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है, उपधारा (5) के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान अभिप्राप्त की गई कोई जानकारी सरकार के किसी अधिकारी द्वारा सरकार की सम्मति के बिना प्रकट नहीं की जायेगी.

(11) सरकार इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों को किसी [illegible] मजिस्ट्रेट की पद श्रेणी [illegible] आदेश द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगी और उसी प्रकार उनका प्रत्याहरण कर सकेगी.

(12) सरकार किसी भी समय स्वविवेकानुसार या तो स्वप्रेरणा से या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर जिसने अभ्यावेदन किया है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (11) के अधीन पारित किए गए किसी आदेश की वैधता, शुद्धता या उसके औचित्य के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए अभिलेखों को मंगा सकेगी और उनकी परीक्षा कर सकेगी और उसके संबंध में ऐसे

आदेश पारित कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे.

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश सरकार द्वारा तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उस पक्षकार को, जिसके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो.

पुनरीक्षण.

12. (1) सरकार द्वारा धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन पारित किए गए किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध, जिसमें धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना की पुष्टि की गई है या जिसमें धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध जिसमें अधिसूचना की कालावधि में वृद्धि की गई है या धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन समपहरण के किसी आदेश के विरुद्ध, जिसमें उसकी वैधता, शुद्धता या औचित्य को प्रश्नगत किया गया है, पुनरीक्षण के लिए आवेदन उच्च न्यायालय में होगा.

(2) इस धारा के अधीन पुनरीक्षण याचिका उपधारा (1) में निर्दिष्ट सरकार की आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर फाईल की जायेगी.

अधिसूचित स्थानों पर अतिचार.

13. ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी की अनुज्ञा के बिना अधिसूचित क्षेत्र में प्रवेश करता है या उसमें बना रहता है तो उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि उसने आपराधिक अतिचार का अपराध किया है.

अधिकारिता का वर्जन.

14. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय और भारत के संविधान के अधीन उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की अधिकारिता तथा शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाहियों की किसी वाद या कार्यवाही या आवेदन में या अपील या पुनरीक्षण के रूप में किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के बारे में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जायेगा.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

15. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध या सरकार की ओर से या सरकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी संपत्ति के संबंध में, जिसका कब्जा सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन ले लिया गया है, हुई हानि या नुकसान के लिए कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी.

अपराधों का संज्ञान एवं अनुसंधान.

16. (1) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होंगे.

(2) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराधों की विवेचना निरीक्षक से अनिम्न पुलिस अधिकारी द्वारा की जावेगी.

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत घटित या दुष्प्रेरित या घटित करने का प्रयास या घटित करने की रूपरेखा प्रदर्शित करने के सभी अपराध संबंधित क्षेत्र के जिला पुलिस अधीक्षक की लिखित अनुमति के बिना पंजीबद्ध नहीं किए जायेंगे.

(4) कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का, उस क्षेत्र या जिले के जिला दण्डाधिकारी की रिपोर्ट के बिना, संज्ञान नहीं होना.

संगठन का गठन. 17. किसी संगठन को मात्र विघटन के किसी औपचारिक कार्य या नाम में किसी मौखिक या लिखित घोषणा द्वारा परिवर्तन से यह नहीं समझा जावेगा कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है परन्तु ऐसे संगठन या उसके किसी सदस्य का अस्तित्व तब तक समझा जावेगा जब तक कि वह वास्तविक रूप से विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में संलग्न हो या उसे चालू रखता हो.

नियम बनाने की शक्ति. 18. सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के समस्त या उसके ही प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा पटल पर रखे जायेंगे.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2006

क्रमांक 2400/डी-/21-अ/प्रारूपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छ. ग. विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्र. 14 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2006)

CHHATTISGARH VISHESH JAN SURAKSHA ACT, 2005

An Act to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and organizations and matters connected thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh legislature in fifty sixth year of Republic of India as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vishesh Jan Suraksha Adhiniyam, 2005 (No. 14 of 2006).

(2) It extend to whole of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise, requires,—

(a) "Advisory Board" means the board constituted under section 5;

(b) "Organization" means any combination, body or group of persons whether known by any distinctive name or not and whether registered under any relevant law or not and whether governed by any written constitution or not;

(c) "Government" means the State Government;

(d) "Notification" means notification published in the Chhattisgarh Gazette and the word 'notified' shall be construed accordingly;

(e) "Unlawful Activity" in relation to and individual or organization means any action taken by such individual or organization whether by committing an act or by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise;

(i) which constitute a danger or menace to public order, peace and tranquility; or
(ii) which interferes or tends to interfere with maintenance of public order; or
(iii) which interferes or tends to interfere with the administration of law or its established institutions and personnel; or
(iv) which is designed to overawe by criminal force or show of criminal force or otherwise to any public servant including the force of the State Government or the Central Government in the exercise of the lawful powers of such public servant.
(v) of indulging in or propagating acts of violence, terrorism, vandalism or other acts generating fear and apprehension in the public or indulging in or encouraging the use of firearms, explosives and other devices or disrupting communications by rail or road; or
(vi) of encouraging or preaching disobedience to established law and its institutions; or
(vii) of collecting money or goods forcibly to carry out any one or more of the unlawful activities mentioned above;

(f) "Unlawful Organization" means any organization which indulges in or has for its object, abets or assits or gives aid, succor or encouragement directly or indirectly, through any medium device or otherwise to any unlawful activity.

Declaration of an organization as unlawful.

3. (1) If the Government is of opinion that any organization is, or has become an unlawful organization, it may be notification, declare such organization to be unlawful.

(2) Every such notification shall specify the grounds on which it is issued.

Provided that nothing in this sub-section shall require the Government to disclose any fact which it considers to be against the public interest to disclose.

(3) Where such unlawful organization has a registered office, the notification shall be served by sending the same through Registered Post or by handing over to any office bearer in such registered office any in case any office bearer is not available or refuses to receive the notification, the same shall be affixed to some conspicuous part of the office; and where the organization does not have a registered office the notification shall be published in anyone local newspaper.

(4) The notification shall be in force for a period of one year and may be extended for such further period or periods not exceeding one year at a time. as may be deemed necessary after reviewing the position.

(5) A notification issued under sub-section (1) may be revoked by the Government where it considers that the need of its continuance has ceased.

Representation by Organization.

4. Any organization declared to be unlawful may, if it so chooses, send a representation to the Government within fifteen days from the date of publication of the notification or the date of receipt or affixture thereof, in the manner specified in Section 3, whichever is later and such representation shall be placed before the Advisory Board for its consideration. The organization may if it so desires request for a personal hearing before the Advisory Board.

Constitution and reference to the Advisory Board.

5. (1) (a) The State Government shall whenever necessary constituted an Advisory Board for the purpose of this Act.

(b) The Advisory Board shall consist of three persons who are or have been or qualified to be appointed as judges of the High Court. The Government shall appoint the members and designate one of them as the Chairman.

(2) The Government shall within six weeks from the date of publication of the notification under sub-section (1) of section 3 make a reference to the Advisory Board and place before it a copy of the notification, supporting material and the representation, if any, received from the unlawful organization for its consideration.

Procedure of the Advisory Board.

6. (1) The Advisory Board shall after considering the material placed before it and after calling for further information, if necessary from the Government or from any office bearer or members of the organization concerned and after giving an opportunity of personal hearing to the authorized office bearer of the organization, shall submit its report to the Government within three months from the date of receipt of reference from the Government.

(2) Where the organization seeks personal hearing an intimation specifying the date and time of hearing shall be sent to the address indicated in the representation of the organization. The concerned organization shall not be entitled to appear through a lawyer or any person other than an authorized office bearer.

(3) The report of the Advisory Board shall specify in a separate part thereof its opinion as to whether or not there was sufficient cause for the issuance of the notification in respect of the organization concerned.

7\. (1) In any case where the Advisory Board has reported that there is, in its opinion, sufficient cause for the issuance of the notification declaring the concerned organization as unlawful the Government may confirm the notification and continue the same for such period as it thinks fit, subject to the provisions of sub-section (4) of section 3. **Action upon the report of the Advisory Board.**

(2) In any case where the Advisory Board has reported that there is, in its opinion no sufficient cause for the issuance of a notification as aforesaid the Government shall revoke the notification forthwith.

8\. (1) Whoever is a member of an unlawful organization or takes part in meetings or activities of any such organization or contributes or receives or solicits any contribution for the purpose of any such organization shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine. **Penalties.**

(2) Whoever not being a member of an unlawful organization in any manner contributes or receives or solicits any contribution or aid for such organization or harbours any member of such be punished with imprisonment for a term which may extend to two years and shall also be liable to fine.

(3) Whoever manages or assists in the management of an unlawful organization or promotes or assists in promoting a meeting of any such organiztion or any member thereof, or in any way indulges in any unlawful activity of such organization in any manner or through whatever medium or device shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

(4) No police officer shall investigate any crime under sub-section (1) and (2) of this section, until the Superintendent of Police of the District concerned has not granted him a clear permission thereof.

(5) Whoever commits or abets or attempts to commit or plans to commit any unlawful activity in any specified area shall be punished with imprisonment for a term which may extent to seven years and also be liable to fine.

9\. (1) The District Magistrate may notify any place which in his opinion is used for the activities of an unlawful organization. **Powers to notify and take possession of places used for the purpose of unlawful activities.**

Explanation :- For the purpose of this section, place includes a house or building of part thereof or a tent or a vessel.

(2) When any place is notified under sub-section (1) the District Magistrate or any officer authorized in this behalf in writing by him may take possession of the notified place and evict there-from any person found therein, and the District Magistrate shall forthwith make a report of the taking of possession to the Government.

Provided that where such place contains any apartment occupied by women or children, reasonable time and facilities shall be provided for their withdrawal with least possible inconvenience.

(3) A notified place whereof possession is taken under sub-section (2) shall remain in the possession of the Government as long as the notification under section 3 in respect of such unlawful organization remain in force or for such earlier period as the Government decides.

Movable property found in the notification.

10. (1) The District Magistrate or the officer authorized by him while taking possession of notified place shall also take possession of movable property including money, securities or other assets found therein and shall make a list thereof in the presence of two respectable witnesses.

(2) If in the opinion of the District Magistrate any article specified in the list is or may be used for or in aid of the purposes of the unlawful organization he may proceed, subject to the provisions hereinafter contained in this section, to order such articles to be forfeited to the Government.

(3) All other articles specified in the list shall be delivered to the person whom the District Magistrate considers to be entitled to possession thereof and if no such person is found entitled thereto, it shall be disposed of in such manner as he may direct.

(4) The District Magistrate shall publish a notice in two local newspapers one of which in is Hindi language and shall also affix a copy of such notice on the conspicuous part of the place where from such property was taken possession of specifying the articles which are proposed to be forfeited and calling upon any person claiming; that any article, is not liable for forfeiture to submit in writing within fifteen days from the date of publication of notice any representation he desires to make against forfeiture of the article.

(5) The District Magistrate shall consider the representation and pass such orders as he deems fit. If the decision is to forfeit the article he shall give reasons therefore.

(6) Against any order of forfeiture passed under sub-section (5) the person who made the representation may file an appeal to the Government within thirty days from the date of receipt of the order. The Government may pass such orders thereon as it deems fit after giving an opportunity to the appellant. Such order of the Government shall be final.

(7) The Government may, in its discretion at any time, suo-moto call for and examine the records of any order passed by the District Magistrate under sub-section (5) for the purpose of satisfying itself as to the legality, correctness or propriety thereof and pass any order with reference thereto as it may deem fit.

(8) If the article seized is livestock or is of a perishable nature, the District Magistrate, may if he thinks if expedient order the immediate sale thereof and the proceeds of the sale shall be disposed of in the manner herein provided for the disposal of the other articles.

Powers to forfeit funds of an unlawful organization.

11. (1) Where the Government is satisfied, after such enquiry as it may think fit, that any moneys, securities or other assets are being used or intended to be used for the purpose of an unlawful organization the Government may, by order in writing, declare such moneys, securities or other assets to whomsoever they belong to be forfeited to Government.

(2) A copy of an order under sub-section (1) may be served on the person having custody of the moneys, securities or other assets and on the service of such copy such person shall pay or deliver the moneys, securities or other assets to the officer as specified in the order of the Government.

Provided that in the case of moneys of securities, a copy of the order may be endorsed for execution to such officers as the Government may select and such officer shall have power to enter upon and search for such moneys and securities in any premises where they may reasonably be suspected to be, and to seize the same.

(3) Before an order of forfeiture is made under sub-section (1) the Government shall give a written notice to the person , if any in whose custody the moneys, securities or others assets are found of its intention to forfeit and such person may make a representation to the Government against the proposed order of forfeiture within fifteen days of the receipt of the notice. The Government shall after considering the representation, if any, received from the affected person pass such orders as it deems fit.

(4) Where the Government has reason to believe that any person has custody of any moneys, securities or other assets which are being used or are intended to be used for the purpose of an unlawful organization, the Government may, by order in writing, prohibit such person from paying, delivering, transferring or otherwise dealing in any manner whatsoever with the same, save in accordance with the written orders of the Government. A copy of such order shall be served upon the person to whom it is directed.

(5) The Government may endorce a copy of an order under sub-section (4) for investigation to any officer it may select, and such copy shall be deemed to be warrant where under such officer may enter upon any premises of the person to whom the order is directed, examine the books of such person or any officer, agent or servant or such person, search for moneys and securities and make inquiries from such person touching the origin of and dealings in any moneys, securities or other assets which the investigating officer may suspect are being used or are intended to be used for the purpose of an unlawful organization.

(6) A copy of an order under this section may be served in the manner provided in the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) for the service of summons, or where the person to be served is a Corporation, Company, Bank or Organization of persons, it may be seved on any Secretary, Director or other officer or person concerned with the management thereof, or by leaving it with or sending it by post addressed to the Corporation, Company, Bank of Organization at its registered office, or where there is no registered office, at the place where it carries on business. Where the Government is satisfied that in the circumstances it is not reasonabley practicable to follow such procedure, it may cause the order to be published in any local newspaper.

(7) Where an order of forfeiture is made under sub-section (1) in respect of any moneys, securities of other assets in respect of which a prohibitory order has been made under sub-section (4), such order of forfeiture shall have effect from the date of the prohibitory orders, and the person to whom the prohibitory order was directed shall pay or deliver the whole of the moneys, securities, or other assets forfeited, to the officer specified in the order of the Government.

(8) Where any person liable under this section to pay or deliver any moneys, securities or other assets upon the order of the Government refuses, or fails to comply with any direction of the Government in this behalf, the Government may recover form such person, as arrears of land revenue or as a fine, the amount of such moneys or other financial assets or the market value of such securities.

(9) In this section, security includes a document whereby any person acknowledges that he is under a legal liability to pay money, or where under any person obtains a legal right to the payment of money and the market value of any security means the value as fixed by any officer or person deputed by the Government in this behalf.

(10) Except so far as in necessary for the purpose of any proceeding under this section, no information obtained in the course of any investigation made under sub-section (5) shall be divulged by any officer of Government without the consent of the Government.

(11) The Government may by order, delegate its powers under this section to any officer not below the rank of a District Magistrate and likewise withdraw the same.

(12) The Government may, in its discretion at any time, either suo-moto or on an application made by the person who made the representation, call for and examine the records of any order passed by the District Magistrate under sub-section (11) for the purpose of satisfying itself as to the legality, correctness or propriety thereof and pass such orders in reference there to as it may deems fit;

Provided that no order under sub-section shall be passed by the Government unless the party likely to be affected there by has had an opportunity of making a representation.

Revision. 12. (1) An application for revision shall be lie to the High Court against any order passed by the Government under sub-section (1) of section 7 as confirming the notification issued under sub-section (1) of section 3 or against any order passed under sub-section (4) of section 3 extending the period of notification or against any order of forfeiture under sub-section (1) of section 11 questioning the legality, correctness or propriety thereof.

(2) A revision petition under this section shall be filed within a period of thirty days from the date of receipt of the order of the Government referred to in sub-section (1).

Trespass upon notified places. 13. Any person who enters or remains upon a notified place without the permission of the District Magistrate or of an officer authorized in this behalf by the District Magistrate shall be deemed to commit an offence of criminal trespass.

Bar of Jurisdiction. 14. Save as otherwise expressly provided in this Act and without prejudice to the jurisdiction and powers of the Supreme Court and High Court under the Constitution of India, no proceedings taken under this Act by the Government or the District Magistrate or any officer authorized in this behalf by the Government or by the District Magistrate shall be called in qustion in any court in any suit or proceeding or application or by way of appeal or revision and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any powers conferred by or under this Act.

Protection of action taken in good-faith. 15. No civil or criminal proceeding shall be instituted against any person for anything done in good-faith or intended to be done under this Act or against the Government or any person acting on behalf of or by the authority of the Government for any loss or damage caused to or in respect of any property, whereof possession has been taken by the Government under this Act.

Cognizance and investigation of offences. 16. (1) All offences under this Act shall be cognizable and non-bailable.

(2) All offences under this Act shall be invecstigated by the Police Officer not below the rank of Inspector.

(3) Offences under this Act committed or abetted or attempted or designed to be committed shall only be registered under the written permission by the Superintendent of Police of that district.

(4) No court shall take cognizance of any such offence except on the report of District Magistrate of that area or district.

Constitution of Organization. 17. An organization shall not be deemed to have ceased to exist by reasons only of any formal act of dissolution or change of title by any oral or written declaration but shall be deemed to exist so long as such organization or any member thereof is actually engaged in or continuing in any manner any unlawful activity.

18. (1) The Government may, by notification make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act. **Power to make rules.**

(2) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.